

बिहार सरकार  
पर्यावरण एवं वन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-23.08.2016

संख्या-भा0व0से0 (स्था) 11/2016- 4456/प0व0 श्री बी0एल0चौधरी, भा0व0से0 (85) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक HAG (वेतनमान रू0 67,000-79,000) में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

संख्या-भा0व0से0 (स्था) 11/2016- 4457/प0व0 श्री ए0 एन0 शरण, भा0व0से0 (85), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक HAG (वेतनमान रू0 67,000-79,000) में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या-भा0व0से0 (स्था) 11/2016- 4458/प0व0 श्री भारत ज्योति, भा0व0से0 (86) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक HAG (वेतनमान रू0 67,000-79,000) में दिनांक 01.09.2016 से फलित रिक्ति के विरुद्ध प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- भा0व0से0 (स्था) 11/2016- 4458/प0व0, पटना-15 दिनांक 23.08.2016

प्रतिलिपि:- ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 एवं दो अतिरिक्त प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— भा0व0से0 (स्था) 11/2016— 4458/प0व0 पटना—15 दिनांक—23.08.2016

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— भा0व0से0 (स्था) 11/2016— 4458/प0व0,पटना—15 दिनांक— 23.08.2016

प्रतिलिपि:— अवर सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— भा0व0से0 (स्था) 11/2016— 4458/प0व0,पटना—15 दिनांक— 23.08.2016

प्रतिलिपि:— मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/भारतीय वन सेवा को 10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजते हुए अनुरोध है कि अधिसूचना की प्रति को विभागीय वेबसाइट पर अविलंब अपलोड करना सुनिश्चित करें।

h0

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव।